

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री भुवनेश्वर चौबे, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं०-1, चैनपुर, गुमला के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प सं०-352 दिनांक-09.02.2012 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 55 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। श्री चौबे के सेवानिवृत्ति के पश्चात् उक्त विभागीय कार्यवाही आदेश संख्या-2007 दिनांक- 17.07.2014 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम-43बी० में सम्परिवर्तित किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री चौबे के विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री चौबे को आरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

4. अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 1938 राँची / दिनांक 26-04-18

प्रतिलिपि :- उप सचिव(प्र०), प्रशाखा-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल भवन डोरण्डा, राँची-2/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं०-1, चैनपुर शिविर गुमला/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री भुवनेश्वर चौबे, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, फ्लैट सं०-206, श्री पारस, अपार्टमेन्ट, आनन्दपुरी, हरमू, राँची (झारखण्ड) 834002 को सूचनार्थ प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव